

न्यायालय:- चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 भिण्ड (म.प्र.)
(समक्ष : विकाश शुक्ला)

व्यवहारवाद प्रकरण क्र0 66-ए/2015

F.No. 230301052382015

संस्थापित दिनांक-13.10.2015

लक्ष्मन शाक्य पुत्र श्री बुलाकी उम्र 38 वर्ष
निवासी ग्राम परा तहसील अटेर जिला
भिण्ड

..... आवेदक/वादी

वि रू द्ध

1. जनवेद सिंह कुशवाह पुत्र अजुददी उम्र 45 वर्ष
2. श्रीमती रीना पत्नी जनवेद उम्र 42 वर्ष
3. निवासीगण ग्राम परा तह. अटेर जिला भिण्ड मध्यप्रदेश।
4. मध्यप्रदेश राज्य द्वारा कलेक्टर भिण्ड मध्यप्रदेश।

..... अनावेदकगण/प्रतिवादीगण

(// आदेश //)

(आज दिनांक 04.7.2017 को पारित किया गया)

1. यह आदेश आवेदक/वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम-1 व 2 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. (आई.ए.नम्बर-1) का निराकरण करेगा।
2. वादपत्र के अभिवचन एवं आवेदन के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी ने कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 3543/1 क्षेत्रफल 0.679 आरे में से 0.126 आरे भूमि रामेश्वर एवं रामदयाल से दिनांक 25.8.1998 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 25.8.1998 से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था और उक्त भूमि का दिनांक 30.1.2012 को डायवर्सन हुआ। बंदौवस्त के पश्चात सर्वे क्रमांक 3543/1 के स्थान पर सर्वे क्रमांक 3620/2661 एवं 2661 निर्मित हुये। सर्वे क्रमांक 3620/2661 में प्रतिवादीगण ने विवाद उत्पन्न कर दिया है तथा उक्त भूमि ही विवादित है। सर्वे क्रमांक 3537/2 क्षेत्रफल 0.481 आरे एवं 3534/1

क्षेत्रफल 0.083 आरे में से 0.084 आरे भूमि काशीराम से प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं राजेश ने दिनांक 22.11.1986 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की। सर्वे क्रमांक 3537/2 के स्थान पर बंदौवस्त पश्चात 2927/3623 एवं 3534/1 के स्थान पर 2458 निर्मित हुये। प्रतिवादी क्रमांक 1 ने उक्त विक्रयपत्र से 0.084 हेक्टेयर क्षेत्रफल क्रय किया है तथा उस पर कब्जा किया है। उक्त भूखण्ड वादी के भूखण्ड से बहुत दूर है। प्रतिवादी क्रमांक 2 ने आनंद कुमार, गंगाराम से सर्वे क्रमांक 3534/1, 3536/2, 3537/2, 3543/1 में से 0.042 आरे भूमि अपंजीकृत विक्रयपत्र से क्रय कर ली, जिससे प्रतिवादी क्रमांक 2 को कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होते है तथा उक्त विक्रय पत्र शून्य है। उपरोक्त क्रय की भूमि वादी के मकान व भूमि से लगभग 100 मीटर की दूरी पर है। प्रतिवादी क्रमांक 2 ने अपंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण करा लिया है, जो बयनामा व मौके की स्थिति के विपरीत होकर चार विभिन्न सर्वे क्रमांकों में एक-एक विश्वा वादी के सर्वे क्रमांक 3543/1 में भी नामांतरण करा लिया है। प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 के पक्ष में हुआ आदेश दिनांक 03.6.2005 दिनांक 02.6.2012 को निरस्त हो चुका है। प्रतिवादीगण नामांतरण आदेश के आधार पर वादी के सर्वे नंबर पर कब्जा होना बता रहे है, जबकि प्रतिवादीगण का कोई कब्जा नहीं है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना वादी के पक्ष में है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा चाहिए है। आवेदन के समर्थन में वादी ने स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है।

3. प्रतिवादीगण ने लिखित कथन एवं आवेदन के जवाब में वाद पत्र तथा आवेदन के तथ्यों को अस्वीकार करते हुये व्यक्त किया है कि प्रतिवादीगण के हक में काशीराम द्वारा विक्रय पत्र किया गया था और आनंद कुमार व गंगाराम ने प्रतिवादी क्रमांक 2 के हक में 0.42 आरे का कब्जा दिया था तथा भूप्रबंधन कार्यालय में इंद्राज करया था, तब से प्रतिवादी क्रमांक 2 का कब्जा है और वादी का उससे कोई संबंध नहीं है। वादी के स्वत्व एवं आधिपत्य की 12 विश्वा जगह उसके पास है और उसका उस पर आधिपत्य है। विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुये प्रतिवादी क्रमांक 2 के पक्ष में भूप्रबंधन अधिकारी ने वर्णित भूमि में इंद्राज किया है। वाद में पक्षकारों के असंयोजन का दोष है क्योंकि सभी पक्षकारों को हिस्सेदार नहीं बनाया है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना वादी के पक्ष में न होने से आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

4. प्रतिवादी क्रमांक 3 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही हुई है।

5. आवेदन के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि—

अ. क्या प्रथम दृष्टया मामला आवेदक/वादी के पक्ष में है?

ब. क्या सुविधा का संतुलन आवेदक/वादी के पक्ष में है?

स. यदि अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं की गई तो, क्या आवेदक/वादी को अपूर्णनीय क्षति होना संभावित है?

निष्कर्ष के आधार

6. वाद पत्र के अभिवचन एवं वादी के शपथपत्रीय कथन के अनुसार विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 3543/1 क्षेत्रफल 0.679 आरे में से 0.126 आरे भूमि वादी ने विक्रयपत्र दिनांक 25.8.1998 से कय की है और उक्त भूमि पर उसका स्वत्व एवं आधिपत्य है तथा बंदौवस्त पश्चात उक्त भूमि के नवीन सर्वे क्रमांक 3620/2661 व 2661 निर्मित हुये है। प्रतिवादीगण के लिखित कथन के अभिवचन के अनुसार वादी के स्वत्व एवं आधिपत्य की 12 विश्वा आराजी उसके पास है तथा उस पर उसका आधिपत्य है और वादी ने अकारण ही मुकदमा संचालित किया है। उपरोक्त अभिवचन एवं शपथपत्रीय कथन से इस प्रक्रम पर इस संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि विवादित भूमि पर वादी का स्वत्व एवं आधिपत्य है।

7. वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में खसरा खतौनी वर्ष 2014-15 की प्रमाणित प्रतिलिपियां, भू अधिकार ऋण पुस्तिका तथा विक्रयपत्र दिनांक 25.8.1998 की प्रति तथा विक्रयपत्र दिनांक 27.11.2002 की प्रति, न्यायालय अधीक्षक भू प्रबंधन द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.3.2009 एवं एस डी ओ अटेर द्वारा पारित आदेश 02.6.2012 तथा विक्रय पत्र नवम्बर 1986 की प्रति एवं खतौनी की प्रतियां अभिलेख पर प्रस्तुत की है। इस मामले में विवादित सर्वे क्रमांक 3543/1 है तथा उक्त सर्वे क्रमांक का बंदौवस्त पश्चात बना हुआ नवीन सर्वे क्रमांक 3620/2661 व 2661 का वादी के द्वारा अभिवचन किया गया है। वादी की ओर से प्रस्तुत किये गये किसी भी दस्तावेज से यह दर्शित नहीं हो रहा है कि सर्वे क्रमांक 3543/1 के बंदौवस्त पश्चात नवीन सर्वे क्रमांक 3620/2661 एवं 2661 निर्मित हुये है, जबकि वादी तत्संबंध में परिवर्तन सूची अभिलेख पर प्रस्तुत कर सकता था।

8. वादी की ओर से प्रस्तुत खसरा एवं खतौनी वर्ष 2014-15 सर्वे क्रमांक 3623/2927, 2458, 2926, 2926 एवं 2927, 2458, 3620/2661 से संबंधित है। खसरा एवं खतौनी वर्ष 2014-15 के अवलोकन से प्रकट है कि उक्त सर्वे क्रमांक 0.50 हेक्टेयर का है और उस पर अनेक खातेदारों के नाम दर्ज है तथा कालम नंबर 12 में वादी लक्ष्मण सिंह पुत्र बुलाखीराम का नाम भी अन्य सहखातेदारों के लेख है। वादी की ओर से प्रस्तुत विक्रय पत्र के अनुसार उसने सर्वे क्रमांक 3543/1 के क्षेत्रफल 0.679 आरे में से 0.126 आरे भूमि कय की है, परंतु वादी की ओर से परिवर्तन सूची पेश न किये जाने के कारण यह नहीं माना जा सकता कि कय की गई भूमि के परिवर्तित सर्वे क्रमांक 3620/2661 व 2661 है। भू अधिकार ऋणपुस्तिका की प्रति के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि उक्त भू अधिकार ऋणपुस्तिका में वादी के साथ अन्य खातेदारों का नाम उल्लिखित है तथा उक्त भू अधिकार ऋण पुस्तिका

खाता क्रमांक 543 से संबंधित होकर सर्वे क्रमांक 3543/1 मिन से संबंधित है। वादी की ओर से प्रस्तुत किये गये उपरोक्त दस्तावेजों से यह तथ्य प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि विवादित भूमि वादी के एकल आधिपत्य की न होकर अन्य सहखातेदारों के नाम भी दर्ज है। वादी द्वारा ही प्रस्तुत खसरा वर्ष 2014-15 जिस पर 2417/13.4.2015 लेख है, उसमें प्रतिवादी क्रमांक 2 एवं राजेश के सरपरस्त के रूप में प्रतिवादी क्रमांक 1 नाम भी दर्ज है। वादी का यह वाद कारण है कि प्रतिवादीगण कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं और अस्थाई निषेधाज्ञा में यथास्थिति की सहायता चाही है। ऐसी स्थिति में जबकि विवादित भूमि अनेक खातेदारों के नाम वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रकट हो रही है, तब इस प्रक्रम पर प्रथम दृष्टया यह नहीं माना जा सकता कि विवादित भूमि पर वादी का एकल आधिपत्य है। अतः प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में होना नहीं पाया जाता है।

9. जहाँ तक सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति होने का प्रश्न है, उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में होना पाया गया है तथा विवादित दुकान में प्रथम दृष्टया वादी का विवादित भूमि के संपूर्ण क्षेत्रफल पर राजस्व अभिलेख में एकल आधिपत्य होना दर्शित न होकर अनेक सहखातेदार का नाम भी लेख होना दर्शित है। ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना भी वादी के पक्ष में होना नहीं पायी जाती है। अतः सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति की संभावना को भी वादी के पक्ष में होना नहीं पाया जाता है।

10. अतः उपरोक्त दर्शित तथ्य एवं परिस्थितियों में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों सिद्धांत वादी के पक्ष में होने से वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 एवं 2 व्यवहार प्रक्रिया संहिता निरस्त किया जाता है।

(विकाश शुक्ला)

चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
भिण्ड (मध्यप्रदेश)

आदेश आज दिनांक- 04.07.2017 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, दिनांकित एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(विकाश शुक्ला)

चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
भिण्ड (मध्यप्रदेश)